रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2008/ज्येष्ठ 1, 1930
No. 183] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2008/JYAISTHA 1, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

जाँच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ, चीन जन. गण., कोरिया जन. गण. और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जाँच ।

सं. 15/4/2008-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है), ने दिनांक 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं014/42/2002-डी जी ए डी जिसे 10 जून, 2003 की अधिसूचना सं0 91/2003-सीमाशुल्क द्वारा अधिरोपित किया गया था, द्वारा यूरोपीय संघ, चीन जन. गण., कोरिया जन. गण. और ताईवान (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी । प्राधिकारी ने 16 जनवरी, 2004 को अंतिम जाँच परिणाम जारी किए थे और दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 37/2004- द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. समीक्षा और जांच की शुरुआत के लिए अनुरोध

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले नहीं हटा लिया गया है तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

बशर्ते यदि केन्द्र सरकार का एक समीक्षा में यह मत है कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने पर पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि को अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए समय-समय पर बढ़ा सकती है और ऐसी अगली अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार, मै0 गुजरात एल्केलीज एंड केमिकल्स लि0, बड़ोदरा ने एक याचिका में ऐसी समीक्षा के लिए अनुरोध करते हुए प्राधिकारी से सम्पर्क किया है । माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की 2006 की याचिका सं0 16893 (इंडियन मेटल एंड फैरो एलॉयज लि0 विरूद्ध निर्दिष्ट प्राधिकारी) के निर्णय के आलोक में जिसमें यह माना गया है कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और नियमावली के नियम 23 के अनुसार ऐसी समीक्षा की जानी अपेक्षित है । निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जाँच करने के लिए कि क्या लागू शुल्क को हटाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या इनकी पुनरावृत्ति होगी, अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा कार्यवाही शुरू करते हैं ।

3. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद "पोटाशियम कार्बोनेट" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है जिसका रासायनिक सूत्र k_2co_3 है । यह एक सफेद, प्रस्वेदी अकार्बनिक मिश्रण है जो चूर्ण एवं कणों के रूप में उपलब्ध है और जो पानी में घुलनशील और अल्कोहल में अघुलनशील है । यह उत्पाद भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के तहत सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 28.36.40 और 28.36.40.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

4. प्रक्रिया

जांच से यह निर्धारित होगा कि उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी । प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना जरूरी है और यदि शुल्कों को हटाया जाता है अथवा इनमें परिवर्तन अथवा दोनों किए जाते हैं तो क्या क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी ।

i समीक्षा में दिनांक 16 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 14/42/2002-डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल होंगे ।

ii शामिल देश यूरोपीय संघ (ई यू), चीन जन गण, कोरिया गणराज्य और ताईवान हैं ।

iii वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक (12 महीने) है ।

iv उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा में सभी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

5. सूचना का प्रस्तुतीकरण

संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकारों और भारत में संबद्ध के रूप में ज्ञात प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निम्नलिखित

को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए विनिर्दिष्ट ढंग एवं विधि से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी जाँच से संबंधित सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

6. समय-सीमा

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

7. अगोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतिकरण

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना होता है । गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर या अगोपनीय सार अन्य हितबद्ध पक्षों को गोपनीय सूचना का पूरा अर्थ समझाने के लिए पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए । यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्ष के विचार में ऐसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

8. उपलब्ध तथ्यों का उपयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्ष, अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपान्तरों वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2008

Initiation (Sunset Review)

Sub. : Sunset Review Anti-Dumping Investigations into imports of Potassium Carbonate originating from/exported from the European Union, China PR, Korea RP & Taiwan.

No. 15/4/2008-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) recommended provisional anti-dumping duty on imports of Potassium Carbonate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from European Union, China PR, Korea RP and Taiwan (hereinafter referred to as subject countries), vide Notification No. 14/42/2002-DGAD dated 30th April 2003, which was imposed vide Notification No. 91/2003 - Customs dated 10th June, 2003. The Authority issued the final findings on 16th January 2004 and definitive anti-dumping duty was levied vide Notification No.37/2004 dt. 20th February, 2004.

2. **Request for Review and Initiation**

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

In terms of the above provisions, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. Vadodra has approached the Authority with a petition requesting for such a review. In view of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in the Writ Petition No 16893 of 2006 (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd Vs Designated Authority) holding that sunset

review is mandatory and such review is required to be carried out in terms of Rule 23 of the Rules, the Designated Authority hereby initiates the sunset review proceedings, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

3. Product under consideration

The product under consideration is "Potassium Carbonate" (also referred to as subject goods hereinafter), with chemical formula K_2CO_3. It is a white, deliquescent, inorganic compound, available in powder and granules form, which is soluble in water and insoluble in alcohol. The product is classified under Custom Tariff Heading 28.36.40 and 28.36.40.00 under Indian Customs Tariff Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

4. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

i. The review will cover all aspects of Notification No 14/42/2002-DGAD dated 16th January, 2004.

ii. The countries involved are the European Union (EU) , China PR, Korea RP and Taiwan.

iii. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st January, 2007 to 31st December, 2007 (12 months).

iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

5. Submission of information

The exporters in the subject country, their government through their Embassy/High Commission in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

1878GI/08-2

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

6. **Time limit**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty (40) days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

7. **Submission of information on non-confidential basis**

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

8. **Use of facts available**

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

9. **Inspection of public file**

In terms of rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.